3/12/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय वकील उपस्थित। मुख्य प्रार्थना में बहस एकपक्षीय सुनी जाकर पारिमाणिक डिक्री जारी करने की साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी व वकील उक्त पर्चिका पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

मुं. कोई कार्यवाही उपस्थित नहीं की इस पत्रावली पत्रावली में कार्यवाही इसी तिथि पर से समाप्त की जाती है।

पत्रावली दीवानी रजिस्टर में काम की जाकर खारिज होवे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

3/12/25